

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 87/11-12

(1) परिचयात्मक :-

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम — बालिका मध्य विद्यालय, बोरिंग रोड, पटना।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि — लेखा वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम — मानव संसाधन (विकास) विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदा०

के नाम, पदनाम एवं कार्यकाल — 1. श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि० 1.04.06 से 30.6.06 पूर्वा० तक

2. श्री रामसागर प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि० 30.6.06 अप० से दि० 07.07.08 पूर्वा० तक

3. श्री शशिभूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि० 07.07.08 अप० से दि० 31.03.11 तक।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का

नाम , पदनाम एवं कार्यकाल — 1. श्रीमती निशी कुमारी

दिनांक 01.04.2006 से अद्यतन

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा०/कर्म० के नाम एवं पदनाम — श्रीमती निशी कुमारी , प्रधानाध्यापिका

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम — 1. श्री अविनाश कुमार , व० अं०— 2

2. श्री अजय कुमार , व० अं०—2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि — दि० 26.11.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि — दि० 10.12.11

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस — $6\frac{1}{1}$ कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र —

1. अंकेक्षण का प्रकार — सामान्य अंकेक्षण है।
2. वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि — 3286/15.9.1960
3. अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र —

यह विद्यालय विश्व बुद्ध परिषद संस्था द्वारा संचालित एवं वर्ष 1958 में स्थापित है। यह सामान्य सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय है। इस विद्यालय के शिक्षकों को वेतनादि मद में राशि सरकार से अनुदान स्वरूप प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त अनुदान राशि का अंकेक्षण तथा प्राप्त राशियों का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के अभिलेखों से किया गया। सरकार द्वारा वर्ग 06 एवं वर्ग 7 के द्वारा संचालन हेतु पत्रांक 11-15/4.1.69 द्वारा प्रस्वीवृत्ति दी गई थी।

विद्यालय का संचालन, प्रशासन, अनुदान शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं एवं सुविधाओं को क्रियान्वयन एवं नियंत्रण विद्यालय के प्रबंध समिति द्वारा दिया जाता है।

4. वित्तीय स्रोत :- अनुदान — अनुदान, विवरण परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है।
5. कोषागार अभिलेख से सत्यापन स्थिति — नहीं।
6. महालेखाकार का पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति :- अनुपालन प्रेषित किया गया है या नहीं — नहीं

बार-बार अनुरोध करने पर भी निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। फलतः अनुपालन से अंकेक्षण दल अनभिज्ञ रहा।

7. वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :- शून्य

(3) वित्तीय समीक्षा :-

1. आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक निकासी की गई है – नहीं।
2. अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक व्यय की गई है – नहीं।
3. प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था— नहीं।
4. रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नगद राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति – आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति – शून्य थी।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बलों का विवरण :-

पदनाम/स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक /कम
प्रधानाध्यापिका/ 01	01	—
सहायक शिक्षक /05	03	2

सहायक शिक्षक को दो पद रिक्त पाया गया।

भाग -2

(5) वेतन में मँहगाई वेतन विलय के कारण अधिक भुगतान राशि ₹0 41436.00 वसूली योग्य :-

शिक्षकों के वेतन मद में भुगतीत राशि के अंकेक्षण में स्पष्ट हुआ कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रा० विद्यालयों के शिक्षकों को वित्त विभाग के ज्ञापांक 1773 वि० (2) दिनांक 02.04.05 के निदेश के आलोक में 1.1.05 को मूल वेतन में 50 प्रतिशत मँहगाई भत्ता का भाग जोड़कर बढ़े हुए कुल वेतन पर अनुमान्य दर से मँहगाई भत्ता एवं मकान भाड़ा भत्ता की राशि का भुगतान गया था। विदित हो कि यह निदेश सरकारी सेवकों के मूल वेतन में 50 प्रतिशत मँहगाई भत्ता की राशि को दिनांक 01.01.05 के प्रभाव से विलय करने हेतु था। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह लाभ गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्या सहित) विद्यालयों के शिक्षकों के लिए देय नहीं था। इन्ही कारणों से जिला शिक्षा अधीक्षक , जिला पटना ने अपने पत्रांक 7952 दिनांक 17.09.07 द्वारा इस प्रकार के विलय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया था। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा विलय पर रोक लगाये जाने के पूर्व कुछ माह तक शिक्षकों द्वारा 50 प्रतिशत मँहगाई भत्ता वेतन में विलय कर उक्त राशि पर अनुमान्य मँहगाई भत्ता एवं आवास भत्ता का लाभ प्राप्त कर लिया गया था। जिसकी वसूली हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा यथोचित कदम नहीं उठाया गया था। इस

संदर्भ में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में विद्यालय द्वारा बताया गया कि “उच्चाधिकारियों के निदेशानुसार कार्रवाई की जायेगी ” अनुपालन स्पष्ट नहीं था।

अतः सुझाव दिया जाता है कि परिशिष्ट ‘ग’ पर अंकित विवरणी के अनुसार मँहगाई वेतन मद में अधिक भुगतान राशि रू0 41436 संगत व्यक्ति से वसूली कर उचित शीर्ष में जमा करा दिया जाये। प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना अवगत कराया जाये।

(6) वेतनादि मद में भुगतीत राशि रू0 2399933.00 आपत्तिन्तर्गत :-

वेतनादि मद में भुगतान राशि के जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन वर्ष में वेतनादि मद में राशि रू0 2399933.00 का भुगतान विभिन्न शिक्षकों को दिया गया था। परन्तु उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी को नहीं भेजा गया था। यह स्थिति बिहार वित्त नियमावली के नियम 340 से 346 के प्रतिकूल है। विशेषतः उक्त नियमावली के नियम 342 में स्पष्ट उल्लेख है कि स्वीकृत अनुदानों, अंशदानों एवं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, विशिष्ट सेवाओं एवं नियमों आदि हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अनुदान देने वाला प्राधिकार महालेखाकार को भेजने की व्यवस्था करायेगें या करेंगें। स्पष्ट है कि इस नियम का अनुपालन किसी स्तर से नहीं किया गया था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने योग्य राशि का विवरण परिशिष्ट ‘छ’ पर अंकित है। इस संदर्भ में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि “उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर भेजा जा रहा है” परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र लेने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने तक राशि रू0 2399933.00 आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है, भविष्य में भी ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इस दिशा में की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

भाग— 3 (सुझावात्मक)

(7) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :-

1. निरीक्षण संचिका संधारित किया जाये— वित्त विभाग के ज्ञापांक ए0 आर0 — 06—19/53—29 वि0 दिनांक 1.6.53 के निदेशानुसार प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक पंजी संधारित किया जाये।
2. रोकड़ बही की त्रुटियाँ — रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अंत में संवरण शेष की विस्तृत विवरणी तैयार कर अवश्य अंकित दिया जाये तथा बिहार कोषागार संहिता के

नियम 86 (iii) के अनुरूप रोकड़ बही के योग एवं संतुलन की जाँच का प्रमाण पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

3. अनुदान हेतु अलग आगत पंजी संधारित किया जाये :—

विद्यालय द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त चेकों के लिए एक आगत पंजी संधारित किया जाये जिससे अनुदान प्राप्ति का स्रोत, अनुदान का माध्यम (चेक या ड्राफ्ट) का विवरण, प्राप्ति तिथि, अनुदान राशि आदि का उल्लेख किया जाये। इस पंजी का संधारण अवश्य किया जाये।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0-2

(2)

“NISHU”

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1(ट) से संबंधित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेख

(क) प्रस्तुत अभिलेख :-

1. रोकड़ पुस्त (वेतन मद) वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
2. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
3. भविष्य निधि कटौती पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
4. अनुदान चेकों की छाया प्रति वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
5. वेतन पासबुक (शिक्षक) वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
6. शिक्षक उपस्थिति पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
7. छात्र उपस्थिति पंजी वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक
8. भविष्य निधि खाता (पोस्ट ऑफिस)
9. प्री-प्रोजीशन स्टेटमेंट
10. नियुक्ति अनुमोदन संचिका
11. बकाया वेतन स्वीकृत्यादेश संचिका

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :-

वर्ष 06-07 से 10-11

1. विद्यालय प्रस्वीहति मूल पत्र
2. स्वीकृत पदों का आदेश पत्र (मूल)
3. अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में घोषणा पत्र
4. शिक्षकों की वरीयता सूची
5. सेवा पुस्त
6. प्रोन्नति, सेवा निवृत्ति से संबंधित संचिका

परिशिष्ट 'ख'

कंडिका 01(ठ-iv) से सम्बन्धित

क्र० सं०	वर्ष	मद	प्राप्त अनुदान	व्यय	आधिव्यय	बचत	प्राप्ति विवरण चेक सं० एवं तिथि
1	2006-07	वेतन भविष्य निधि	402005 24591	402005 24591	—	—	चेक सं० — 162341 दि० 16.04.07- वेतन 177465.00 / 162342 दि० 16.4.07 पी० एम० — 10831.00 चेक सं० 162345 दि० 27.4.07- वेतन — 224540.00 / 162346 दि० 27.4.07 पी० एम०— 13760.00
2	2007-08	वेतन भविष्य निधि	363217 23315	363217 23315	—	—	चेक सं० 192574 दि० 19.3.08 -वेतन- 363217.00 / 192575 दि० 19.3.08 पी० एम० 23315.00
3	2008-09	वेतन भविष्य निधि	357202 21538	357202 21538	—	—	चेक सं० 092895 दि० 17.3.09 वेतन- 357202.00 / 092898 दि० 17.3.09 पी० एम० 21538.00
4	2009-10	वेतन भविष्य निधि	534400 29634	534400 29634	—	—	चेक सं० 32948 दि० 4.3.10 वेतन- 443028.00 / भविष्य निधि — 24624.00 चेक सं० 330982 दि० 25.3.10 वेतन — 45850.00 / भविष्य निधि — 2510.00 चेक सं० 331032 दि० 25.3.10 वेतन- 45562.00 / भविष्य निधि- 2460.00
5	2010-11	वेतन भविष्य निधि	613751 30280	613751 30280	—	—	चेक सं० 437057 दि० 17.3.11 वेतन — 560668.00 / भविष्य निधि- 27730.00 चेक सं० 437126 दि० 25.3.11 वेतन — 53083.00 / भविष्य निधि- 2550.00

परिशिष्ट 'ग'
कंडिका '5' से सम्बन्धित

क्र० सं०	शिक्षि का का नाम	वेतन अवधि	भुगतीत राशि					भुगतान योग्य राशि				अन्तर राशि			कुल योग वसूली हेतु	अभि०
			वेतन	मंह० वेतन	मं० भत्ता	मकान भत्ता	कुल योग	मूल वेतन	मह० भत्ता	मकान भत्ता	कुल योग	मंह० भत्ता	मकाना भत्ता	योग		
1	श्रीमती निशी कुमारी	मार्च 06— जून 06 जुलाई 06 अगस्त 06— फरवरी 07	7100	3550	2556	1598	14804	7100	5254	1065	13419	852	533	1385	1385x4=5554.00	18352.00
			7100	3550	3089	1598	15337	7100	5609	1065	13774	1030	533	1563	1563x1=1563.00	
			7300	3650	3176	1643	15769	7300	5767	1095	14162	1059	548	1607	1607x7=11249	
2	श्रीमती निर्मला कुमारी स० शि०	मार्च 06 से जून 06 जुलाई 06 से दिसम्बर 06	5750	2875	2070	1294	11989	5750	4255	863	10868	690	431	1121	1121x4=4484.00	12068.00
			5750	2875	2501	1294	12420	5750	4543	863	11156	833	431	1264	1264x6=7584.00	
3	श्रीमती सरोज स० शि०	मार्च 06 जून 06 जुलाई 06 से दिसम्बर 06	5250	2625	1890	1181	10946	5250	3885	788	9923	630	393	1023	1023x4=4092.00	11016.00
			5250	2625	2284	1181	11340	5250	4148	788	10186	761	393	1154	1154x6=6924.00	

योग— 41436.00

परिशिष्ट 'घ'

कंडिका '6' से सम्बन्धित

मद	अनुदान राशि का विवरण					कुल राशि	अभ्युक्ति
	2006—2007	2007—2008	2008—2009	2009—2010	2010—2011		
वेतन	402005.00	363217.00	357202.00	534400.00	613751.00	2270575.00	
भविष्य निधि	24591.00	23315.00	21538.00	29634.00	30280.00	129358.00	

कुल योग— 2399933.00